

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक ८/११८९ /

जबलपुर, दिनांक 13/03/2020

II-13-36/19

श्री विजय कुमार वाघ, रिकार्ड सप्लायर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर को अवकाश नियम 9 (1) के अनुसार दिनांक 02.08.19 से 01.10.19 तक 61 दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के स्थान पर भूतलक्षी प्रभाव से लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

सही / -
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक ८/११९० /

जबलपुर, दिनांक 13/03/2020

II-13-36/19

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक अवकाश/331 इंदौर, दिनांक 17/02/2020 के संदर्भ में श्री विजय कुमार वाघ, रिकार्ड सप्लायर का आवेदन पत्र दिनांक 12.02.2020, फार्म नं. 3 एवं 4 वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
2. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु.
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(किशोर पिठवे)
ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) (पी)
